175/21/225 # अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर रेगलाल V/s रामलाल श्री विक्रम पाराशर श्री राकेश अरोड़ा 1,2	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
26.8.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषकगण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात कालू उर्फ तेजा पुत्र देवा की आराजियात है जो कि ग्राम रहीमपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के पूर्व खसरा नंबर 345/7 वर्तमान खसरा नंबर 52 रकबा 0.809 है0 किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। कालू उर्फ तेजा पुत्र देवा नाऔलाद फौत हो गया जिनके वारिसान वादीगण है एवं कालू उर्फ तेजा का विरासतन नामांतकरण संख्या 306 दिनांक 14.1.1985 को तस्दीक किया गया जो गलत है इसलिये विपक्षी को पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 जा0दी0 पेश किया जिसकी प्रति वादीगण को दिलाई गई जिस पर अधी0न्याया0 ने गलत रूप से वकील अपीलांटस की सहमति दर्शाते हुए बिना अपीलांटस/प्रतिवादीगण की कोई बहस सुने वादग्रस्त आराजियात बाबत् दिनांक 27.7.2021 को स्थगन आदेश जारी कर दिये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्यायालय के समक्ष गलत सजरा पेश कर स्वंय को कालू उर्फ तेजा का रिश्तेदार बताया है । अधी0न्याया0 द्वारा की गई समस्त कार्यवाही केवल मात्र वादीगण को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जो प्रथम दृष्टया ही प्रतीत होती है क्योंकि दिनांक 27.7.2021 को अपीलांटस द्वारा आदेश 39 नियम 7 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसकी प्रति वादीगण/रेस्पो0 को दिलाई गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना अपीलांटस की कोई बहस का जिक्र किए ही संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश जारी करने में अवैधानिकता कारित की है । वादीगण/रेस्पो0 द्वारा स्वंय को हजारीलाल का वारिस बताते हुए स्व0 कालू के स्वंय को वारिस बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि उनका कालू उर्फ तेजा से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि कारित की है । नामांतकरण संख्या 306 पूर्ण जांच के उपरांत दिनांक 14.1.1985 को तस्दीक किया गया था जिसके आधार पर अपीलांटस आज दिनांक को वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअंदाज किया कि किसी व्यक्ति के दावा प्रस्तुत करने मात्र से ही किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नही हो जाते है । अपीलांटस स्व0 कालू की मृत्यु के पश्चात् नामांतकरण संख्या 306 दिनांक 14.1.1985 तस्दीक किए जाने के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है एवं एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण साबित नहीं किये जाने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को पाबदं करने में त्रुटि कारित की है।	
अपील प्राधिकारी अजमेर		

--- लगातार

175/2021/225 रंगलाल V/s रामलाल

04.11.18	वादीगण/रेस्पो0 अधी0न्याया0 के आदेश की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने व आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा है जिन्हें न्यायहित में पाबंद किया जाना न्यायोचित है अन्यथा यदि वे अपने उक्त अवैध कृत्य में सफल हा गए तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 27.7.2021 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2014 (1) राज0 पेज 35, ए0आई0आर0 2016 गुजरात पेज 20 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस द्वारा कालू उर्फ तेजा के वारिसान होना अंकित किया है जो गलत है । अपीलांटस ने गलत दस्तावेजों के आधार पर तथा तथ्यों को छिपाकर कालू उर्फ तेजा का वारिसान बताकर राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज करवाया है । इस बाबत् रेस्पो0/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष शपथ पत्र भी पेश किया था । कालू पुत्र देवा का नाऔलाद देहांत हो गया था । स्व0 देवा के वारिसान कालू, हजारीलाल थे एवं कालू के नाऔलाद फौत होने के बाद हजारीलाल एवं उनके वारिसान ही कालू के वारिसान है । वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 के हक अधिकार व पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांटस द्वारा अवैधानिक रूप से फर्जी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विरासत नामांतकरण खुलवा लिया गया है जो गलत है । अपीलांटस अवैधानिक रूप से खोले गये फर्जी विरासत नामांतकरण की आड़ में रेस्पो0 को मौके से बेदखल करने व विवादित आराजी को बैचान, हस्तातंरण, रहन, शक्ल परिवर्तन करने पर आमादा है। अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र में अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है ना कि अंतिम आदेश । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नही है । अपीलांटस ने जो उज्र अपील में लिये है वे उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में उठाने चाहिये थे। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से संधारणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे । हमनें विद्वान उभपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 27.7.2021 को आदेश पारित कर विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को पाबंद किया है तथा पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 37 नियम 7 जा0दी0 का जवाब हेतु दिनांक 25.8.2021 को नियत की है । अधी0न्याया0 के आदेश से स्पष्ट है कि मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन हैं । अपीलांटस ने अपील में जो उज्र लिये है उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र में पेश करने चाहिये । चूंकि प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अधी0न्याया0 द्वारा बाद साक्ष्य एवं सुनवाई प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जावेगा। इसलिये हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित	

---- 04.11.18

175/2021/225 रंगलाल V/S रामलाल

26/8/21	करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 26.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	